

# जीएसटी प्रणाली में आयात

## प्रस्तावना

जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत अनुच्छेद 269क संवैधानिक रूप से यह अधिदेशित करता है कि भारत के भू-भाग में आयातों के दौरान वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति को एकीकृत कर का उद्ग्रहण करने के उद्देश्य से अंतरराज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार वस्तुओं अथवा सेवाओं के आयातों को अंतरराज्यिक आपूर्तियों के रूप में माना जाएगा और उन पर एकीकृत कर उद्ग्रहित किया जाएगा। जबकि सेवाओं के आयात पर आईजीएसटी का उद्ग्रहण आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा, वहीं वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी की उगाही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत की जाएगी। सेवा आयातकर्ताओं को प्रतिलोमित प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर कर अदायगी करनी होगी। तथापि, अपंजीकृत, गैर-कर योग्य प्राप्तकर्ता द्वारा ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस उपयोग अथवा पुनर्प्राप्ति सेवाओं (ओआईडीएआर) के आयात पर भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता करों की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। आपूर्तिकर्ता को या तो अपना पंजीकरण कराना होगा अथवा उसे करों की अदायगी करने के लिए भारत में अपना कोई व्यक्ति नियुक्त करना होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता अथवा किसी यूनिट को की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति को अंतरराज्यिक आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और वे एकीकृत कर देय होगा।

## वस्तुओं का आयात

वस्तुओं के आयात को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में वस्तुएं लाने के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी आयातों को अंतरराज्यिक आपूर्तियों के सभी

आयातों को अंतरराज्यिक आपूर्तियों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार उन पर अनुप्रयोज्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त एकीकृत कर का उद्ग्रहण किया जाएगा। उद्ग्रहण किया जाएगा। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में आयातित वस्तुओं पर एकीकृत कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अनुरूप उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस स्थान पर निर्धारित मूल्य पर किया जाएगा जबकि उन वस्तुओं पर सीमाशुल्क की उगाही सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत की जाएगी। वस्तुओं पर एकीकृत कर, लागू आधारभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) जिसका उद्ग्रहण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार किया जाता है, के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, लक्जरी एवं गैर-योग्य वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की उगाही भी की जाएगी।

आयातित वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर तथा एकीकृत कर लगाने का प्रावधान करने हेतु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में तदनुसार संशोधन किया गया है। तदनुसार, कोई भी वस्तु जिसका भारत में आयात किया जाता है, उस पर आधारभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) के अतिरिक्त, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत एकीकृत कर की उगाही उस दर पर की जाएगी जिस दर पर भारत में आपूर्ति की गई उस जैसी ही किसी अन्य वस्तु पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कर की उगाही करने के प्रयोजन के लिए वस्तुओं का मूल्य कर-निर्धार्य मूल्य तथा अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहित सीमाशुल्क और उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उक्त वस्तु पर प्रभार्य कोई अन्य शुल्क होगा जिसकी उगाही सीमाशुल्क के समान विधि से की जाएगी।

उपकर की उगाही के प्रयोजनार्थ किसी आयातित वस्तु का मूल्य कर-निर्धार्य मूल्य तथा अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहित सीमाशुल्क और उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उक्त वस्तु पर प्रभार्य कोई अन्य शुल्क होगा जिसका उद्ग्रहण सीमाशुल्क के अतिरिक्त और सीमाशुल्क के समान विधि से किया जाता है। उपकर की गणना करने के प्रयोजनार्थ प्रदत्त एकीकृत कर मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

# जी एस टी जीएसटी प्रणाली में आयात



सत्यमेव जयते

# जी एस टी

माल और सेवा कर

# जीएसटी प्रणाली में आयात



हमारा अनुसरण करें



@CBEC\_India  
@askGST\_Gol



cbecindia

करदाता सेवा महानिदेशालय

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

www.cbec.gov.in

## आइए एक उदाहरण देखें

मान लीजिए भारत में आयातित किसी वस्तु का कर-निर्धार्य मूल्य 100/रुपए है। उस पर यथामूल्य आधारभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) 10 प्रतिशत है। एकीकृत कर दर 18 प्रतिशत है। उस पर कर की गणना निम्नवत की जाएगी:

कर निर्धार्य मूल्य = 100/रुपए  
आधारभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) =10/रुपए  
एकीकृत कर की उगाही करने के प्रयोजनार्थ मूल्य: =100/रुपए + 10/रुपए = 110/रुपए है  
एकीकृत कर = 110/रुपए का 18 प्रतिशत = 19.80/रुपए  
कुल कर 29.80/रुपए

इसके अतिरिक्त, यदि किसी माल पर वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत उपकर भी उदगणीय है तो उसका उदगहण भी एकीकृत कर की उगाही के लिए परिकलित मूल्य पर ही की जाएगी। इस प्रकार, उपर्युक्त उदाहरण में, यदि उपकर उदगहणीय है, तो उसकी उगाही भी 110/रुपए पर ही किया जाएगा।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वस्तु सीमाशुल्क स्टेशन से भांडागार तक ले जाई जा रही है तो उस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। “भांडागार” को “सीमाशुल्क क्षेत्र” की परिभाषा में शामिल करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी आयातक को किसी वस्तु को भांडागार तक ले जाने के लिए सीमाशुल्क केंद्र से निकासी करते समय एकीकृत कर का भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े।

## एकीकृत कर का इनपुट कर क्रेडिट

किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में “इनपुट कर” की परिभाषा में वस्तुओं के आयात पर प्रभारित एकीकृत कर भी शामिल होता है। इस प्रकार, आयात के समय प्रदत्त एकीकृत कर का इनपुट कर क्रेडिट आयातक को उपलब्ध होगा और वह उसका उपयोग अपनी जावक आपूर्तियों पर करों का भुगतान करने के लिए इनपुट कर क्रेडिट के रूप में कर सकता है। एकीकृत कर, संक्षेप में उसकी निकासी में ही समाहित होगा। तथापि, आधारभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) इनपुट कर क्रेडिट के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण करने के प्रयोजनार्थ एचएसएन (नामपद्धति की सुमेलित प्रणाली) कोड का उपयोग किया जाएगा।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 11 के अनुसार भारत में आयातित वस्तु की आपूर्ति का स्थामन आयातक की अवस्थिति

होगी। इस प्रकार, मान लो यदि कोई आयातक राजस्थान में अवस्थित है तो एकीकृत कर का राज्यर कर संघटक राजस्थान राज्य को देय होगा।

## सेवाओं का आयात

सेवाओं के आयात को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत विशेष रूप से परिभाषित किया गया है और इसका आशय कोई ऐसी सेवा प्रदान करने से है जिसका सेवा प्रदाता भारत से बाहर रहता हो और सेवाप्राप्तकर्ता भारत में रहता हो तथा सेवा प्रदान करने का स्थाभन भारत में हो।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(1)(ख) में उल्लिखित उपबंध के अनुसार ऐसी सेवाओं के आयात को सेवा प्रदान करने के रूप में माना जाएगा जिनकी आपूर्ति किसी व्यवसाय के अनुक्रम में अथवा व्यवसाय के अनुक्रम में अथवा व्यवसाय में वृद्धि के लिए की गई हो। इस प्रकार, सामान्यातः, बिना किसी प्रयोजन के सेवाओं के आयात को आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि, सेवाओं के आयात को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मानने के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि उनकी आपूर्ति व्यवसाय के उद्देश्य से ही की गई हो।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 में उल्लिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी संबद्ध व्यक्ति से अथवा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 में यथापरिभाषित किसी विशिष्ट व्यक्ति से सेवाओं का आयात अपने व्यवसाय के अनुक्रम में अथवा व्यवसाय की बढ़ोत्तरी के लिए किया जाता है तो उसे सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा चाहे इसका आयात बिना किसी प्रतिफल के ही क्यों न किया गया हो।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14 में उल्लिखित प्रावधानों अंतर्गत हम सबके द्वारा गूगल और फेसबुक से बिना किसी प्रतिफल के किए गए सेवाओं के निःशुल्क आयात को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है। व्यक्तिगत प्रयोग के प्रयोजनार्थ किसी गाने का आयात (डाउनलोडिंग) सेवा माना जाएगा, चाहे उसका प्रयोग किसी व्यवसाय के अनुक्रम में या किसी व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए न किया गया हो। भारत स्थिति किसी कंपनी की शाखा द्वारा अपनी पैरेंट (मूल) कंपनी से व्यवसाय के अनुक्रम में अथवा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किए गए सेवाओं के आयात को, चाहे उसका कोई प्रतिफल न हो, सेवा के रूप में माना जाएगा।

इस प्रकार, सेवाओं के आयात को इस आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जा सकता है कि क्या उनके आयात का कोई प्रतिफल है या नहीं और उस सेवा की आपूर्ति किसी व्यवसाय के अनुक्रम में की गई है अथवा किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए की गई है या नहीं। इसको अधोलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है:

सेवा की प्रकृति	प्रतिफल	व्यापार परीक्षा (बिजनेस टेस्ट)
सेवाओं का आयात	अनिवार्यतः अपेक्षित	अपेक्षित नहीं
करयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति से या किसी संबद्ध व्यक्ति से सेवाओं का आयात	अपेक्षित नहीं	अनिवार्यतः अपेक्षित

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 21 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार किसी नियुक्त दिन को अथवा उसके पश्चात किए गए सभी सेवा आयातों पर एकीकृत कर, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना, प्रभारित किया जाएगा कि इन सेवा आयातों के लेन-देन उस नियत दिन से पहले शुरू किए गए थे। तथापि, यदि इन सेवा आयातों पर मौजूदा विधि के अंतर्गत कर का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत इन आयातों पर कोई कर देय नहीं होगा। यदि सेवाओं के इन आयातों पर मौजूदा विधि के अंतर्गत कर का आंशिक रूप से भुगतान किया गया है तो कर की शेष राशि का भुगतान आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत संदेय होगा। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि जीएसटी लागू होने से पहले एक करोड़ रुपए की सेवा आपूर्ति की शुरुआत की गई थी और आपूर्तिकर्ता को 20 लाख रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया गया और उस पर सेवा कर का भुगतान भी कर दिया गया था तो एकीकृत कर का भुगतान शेष 80 लाख रुपए की राशि पर किया जाएगा।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में उन मामलों में आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने का प्रावधान है जिनमें सेवा प्रदाता अथवा सेवा प्राप्तकर्ता भारत के बाहर स्थित है। इस प्रकार, यह धारा सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय अथवा सीमा पार से आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति के स्थान को सूचित करती है। किसी सेवा की आपूर्ति का स्थान यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी सेवा को सेवाओं के आयात या निर्यात के रूप में माना जा सकता है। सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के लिए आपूर्ति के स्थान के संबंध में विशिष्ट प्रावधान निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	परिस्थिति	आपूर्ति का स्थान
1.	अधोलिखित विशिष्ट परिस्थितियों के अलावा कोई अन्य व्यतिक्रम (डिफाल्ट) नियम	सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान; यदि उपलब्ध न हो तो, सेवा प्रदाता का स्थान।
2.	ऐसी वस्तुओं के लिए प्रदान कराई गई सेवाएं जिन्हें भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो।	वह स्थान जहां वस्तुएं अवस्थित हैं जहां पर उन सेवाओं की वास्तविक रूप में आपूर्ति की गई है।

क्रम सं.	परिस्थिति	आपूर्ति का स्थान
	ऐसी सेवाएं जिनके लिए सेवा प्रदाता के साथ प्राप्तकर्ता अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति की मौजूदगी आवश्यक हो।	
2.1	ऐसी सेवाएं जो वस्तुओं के संबंध में दूरस्थ स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान कराई जाती हैं।	वह स्थान जहां सेवाएं प्रदान करने के समय पर वस्तुएं अवस्थित हों।
2.2	यह प्रावधान उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है जिनका मरम्मत के लिए भारत में अस्थायी रूप से आयात किया जाता है और मरम्मत करने के पश्चात उनका निर्यात कर दिया जाता है।	
3.	ऐसी सेवाएं जो अचल संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्षतः प्रदान की जाती हैं।	वह स्थान जहां वह अचल संपत्ति स्थित है अथवा स्थित होना आशयित है।
4.	किसी इवेंट का आयोजन करना अथवा उसमें भाग लेना।	वह स्थान जहां वस्तुतः उस इवेंट का आयोजन किया गया हो।
4.1	उपर्युक्त सेवाएं भारत सहित एक से अधिक देशों में प्रदान कराई गई हों।	भारत
4.2	उपर्युक्त सेवाएं एक से अधिक राज्यों में प्रदान कराई गई हों।	आनुपातिक आधार
5.	किसी बैंकिंग कंपनी या किसी वित्तीय संस्थान या किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय या कंपनी द्वारा अपने खाताधारकों को प्रदान कराई गई सेवाएं।	सेवा प्रदाता की अवस्थिति
5.1	मध्यवर्ती सेवाएं	
5.2	परिवहन के साधनों, जिनमें नाव भी शामिल है, को एक माह की अवधि तक के लिए किराए पर देने की सेवाएं, परंतु इन सेवाओं में एयरक्राफ्ट तथा जहाज शामिल नहीं हैं।	
6	मेल या कूरियर माध्यम के अतिरिक्त, किसी अन्य माध्यम से वस्तुओं का परिवहन	इन वस्तुओं के पहुंचने का स्थान।
7	यात्री परिवहन सेवाएं	वह स्थान जहां से यात्री एक निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ते हैं।
8	किसी वाहन से यात्रा करने के दौरान प्रदान कराई गई सेवाएं।	यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान करने का पहला निर्धारित स्थान।
9	ऑनलाइन सूचना एवं डाटाबेस उपयोग या पेनप्रीप्ति सेवाएं (ओआईडीएओर)।	सेवाओं के प्राप्तकर्ता की अवस्थिति।